प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2024, जनपद गोण्डा।

पदोन्नति

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर उनके कंधो पर स्टार लगाकर बधाई दी गयी व उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की गयी।

आज दिनाकं 28.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में तैनात 02 पुलिस निरीक्षकों 01. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व 02. निरीक्षक श्री राम दवन को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर स्टार लगाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी गयी तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाए दी गई। महोदय द्वारा उन्हे निर्देशित किया गया कि अपने नई जिम्मेदारीयों को भलिभाँति समझे तथा प्राथमिकाता के आधार पर जनता की जनसमस्याओं को सुने व उनके समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण शत-प्रतिशत निस्तारण कराए।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस – नोट
दिनांक 28.10.2024, जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई की बैठक का हुआ आयोजन,

गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गये आवश्यक दिशा निर्देशः-

आज दिनांक 28.10.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा सभागार में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के समस्त बालकल्याण/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा बैठक में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में वार्ता कर जानकारी दी गई। बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियो के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराए, गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे। महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए। बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए।

इस कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड, संयुक्त निदेशक अभियोजन, श्रमविभाग, चाइल्डलाइन, बालकल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, ए0एच0टी0यू0/एच0जे0पी0यू0, मण्डलीय यूनीसेफ व अन्य विभागों के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.10.2024
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्योहारों धनतेरस/दीपावली/भाईदूज/छठपूजा आदि को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों के संबंध में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी कर कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश-

आज दिनांक 27.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, भाईदूज व छठपूजा को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों के संबंध में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी कर कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि त्योहार के पहले सभी प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों से फॉर्म भरवाकर डीजे संचालकों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर नोट कर ले तथा उनसे समन्वय स्थापित कर हिदायत दिया जाये की डीजे को निर्धारित आवाज में भक्ति गीत ही बजाएंगे तथा कोई भी आपत्तिजनक/भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएंगे । प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम को पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षित व सकुशल संपन्न कराया जाए । अराजक तत्वों/शराब पी कर हुड़दंग करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये । भीड़-भाड़/कार्यक्रम स्थल व आस-पास पर्याप्त संख्या में वर्दी व सादे कपड़ो में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये । आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों व अराजक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर निगरानी करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी । इसके अतिरिक्त भीड़भाड़ के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार डायवर्जन की भी व्यवस्था की जाए । सभी प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रमों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही प्रभारी मीडिया सेल को निर्देशित किया गया की लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जाये तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये।

गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी मीडिया सेल आदि मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेसनोट

दिनांक 28.10.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्यौहारों धनतेरस, दीपावली, भाईदूज व छठपूजा को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिला पंचायत सभागार में जनपद के समस्त प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों, संभ्रान्त व्यक्तियों व धर्मगुरूओं के साथ की गयी सेंट्रल पीस कमेटी की बैठकः-

आज दिनांक 28.10.2024 को जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, भाईदूज व छठपूजा के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की गयी। मीटिंग में समस्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ-साथ सभी वर्गो के सभ्रांत व्यक्ति व धर्मगुरु सम्मिलित हुए। इस दौरान त्यौहार की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई व संभ्रांत व्यक्तियों/धर्मगुरुओं से सुझाव भी लिए गए एवं अमल में लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। त्यौहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया गया। सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई । त्योहारों में कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। त्यौहार परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। त्योहारों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की जायगी।

महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि त्यौहारों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए है। पुलिस लोगों की सुरक्षा हेतु सजग एवं कटिबद्ध है, त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाए। सभी प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों व डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित आवाज में भक्ति गीत ही बजाएंगे तथा कोई भी आपत्तिजनक/भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएंगे । प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम को पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षित व सकुशल संपन्न कराया जायेगा । जूलूसों में सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से पुलिस प्रबन्ध किया जायेगा। जुलूस में बाक्स फार्मेट में चारो तरफ आगे पीछे व दोनो तरफ पुलिस फोर्स की लगायी जायेगी। सभी प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रमों की कैमरा/ड्रोन कैमरे/दूरबीन से निगरानी की जाएगी। सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेकर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर लगातार चेकिंग करायी जाये तथा कस्बों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सादी व वर्दी में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाये। अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। त्योहारों के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों अराजक तत्वों/शराब पी कर हुड़दंग करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अभियान चलाकर निगरानी करते हुए कानूनी कार्यवाही की किया जा रहा है। महोदय द्वारा नगर पालिका व नगर पंचायत को त्यौहार के दृष्टिगत नालियों की साफ-सफाई व मलबों के उचित निस्तारण की व्यवस्था करने, पानी तथा बिजली की अनवरत आपूर्ती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए ।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी, जनपद के विभिन्न पुलिस/प्रशासनिक अधिकारीगण सहित संभ्रांत व्यक्ति/धर्म गुरु मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।